Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 91-2023/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 19 मई, 2023
(29 वैशाख, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2022 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17)।	85
	2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18)।	87—88
	(केवल हिन्दी में)	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मई, 2023

संख्या लैज. 17/2023.– दि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (मैनेजमैंट) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2022, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 मई, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2022
हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

(2) यह 24 अक्तूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2014 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 16 का संशोधन।

2. हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 16 में,–

(i) उप–धारा (8) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''परन्तु सरकार द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी इकतालीस सदस्य, अपना प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और छह सदस्य निर्वाचित करेंगे, जो समिति के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे तथा इसका प्रथम अधिवेशन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा । तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड, नई समिति बनने के बाद अस्तित्वहीन हो जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अठारह मास की अवधि के भीतर धारा 11 के अधीन चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, तो सरकार द्वारा अठारह मास की और अवधि या जब तक चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए नई तदर्थ समिति नामनिर्दिष्ट की जाएगी :

परन्तु यह और कि नई निर्वाचित हरियाणा गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति द्वारा कार्य ग्रहण करने के बाद, तदर्थ समिति, नई निर्वाचित समिति को कार्यभार सौंपेगी।'';

(ii) उप–धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

''(9) सरकार, समिति या तदर्थ समिति, जैसी भी स्थिति हो, के किसी एक सदस्य को संरक्षक के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकती है, जो निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड का सदस्य होगा। ऐसा नामनिर्देशन करते समय, सरकार, यदि आवश्यक समझे, समिति के प्रधान या कार्यकारी बोर्ड या तदर्थ समिति के प्रधान या कार्यकारी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श कर सकती है।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

10386—L.R.—H.G.P., Pkl.